

आदेश ब इजलारा राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 350/2020 (घारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक, एम आई रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा पुत्र श्री देवी सहाय शर्मा,
2. श्रीमती कामिनी शर्मा पत्नी श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा
पता :- प्लॉट नम्बर 13, "भुवन-भुवन" शिव शंकर कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन के पास,
न्यू सांगानेर रोड, जयपुर।
एवं प्लेट नम्बर-1109, गुरुशिखर शेखावाटी, ग्राम नींदड, पटवार हल्का नींदड, तहसील आमेर,
जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The
Securitisation and Reconstruction of Financial
Assets and Enforcement of Security Interest Act,
2002


उपस्थित :-

1. बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश


दिनांक: 19.05.2022

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 09.12.2013 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लेट नम्बर 1109, गुरुशिखर शेखावाटी, नींदड पटवार हल्का नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 960.67 वर्गफीट को बन्धक रख कर को बन्धक कर कुल राशि 21,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय व्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ।


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

3. प्रार्थी बैंक के विभागीय प्रतिनिधि को गौर से चुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया ।
4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 21,00,000/- रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी बैंक के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 16,86,089/-रुपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 03.12.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा बैंक को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत बैंक बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत बैंक के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थी श्री रघुवीर प्रसाद शर्मा के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नम्बर 1109, गुरुशिखर शेखावाटी, नींदड पटवार हल्का नींदड, तहसील आमेर, जिला जयपुर क्षेत्रफल 960.67 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
6. आदेश की प्रति संबन्धित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को प्राप्त करने में सहयोग कर बैंक को दिलाने हेतु संबन्धित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो।
पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

7. आदेश आज दिनांक 19.05.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



(राजन विशाखा)
जिला न्यायालय
(कलक्टर) जयपुर
19/05/22